

3

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल टिबीजन 122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुकवार, दिनांक 17 जून 1994—ज्येष्ठ 27, शके 1916

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                    |
|-----|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद् में पुरस्त्रासित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.              |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                    |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मई 1994

क्र. एफ.1-15-चौतीस-1-86.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 14 के उपनियम (3) में शब्द तथा कोष्ठक "कार्यपालन यंत्री (सिविल या मेकेनिकल) के पद पर पदोन्नति के लिये केवल वे ही सहायक यंत्री पात्र होंगे जिनके पास" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "कार्यपालन यंत्री (सिविल या विद्युत् और यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति के लिए केवल वे ही सहायक यंत्री पात्र होंगे, जो स्नातक उपाधि (डिग्री) के धारक हैं या जिनके पास" स्थापित किए जाएं.

2. विद्यमान अनुसूचियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्—

अनुसूची एक  
(नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम (1)	कतव्य पदों की कुल संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी  
(राज्यमन्त्रिव) सेवा

क. सहायक से कर्तव्य पद

मुख्य अभियंता	1	वर्ग एक	₹. 5100-150-5700
मुख्य अभियंता (सिविल)	3	वर्ग एक	₹. 4500-125-5000-150-5300
मुख्य अभियंता (विद्युत् और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	₹. 4500-125-5000-150-5300
अधीक्षण यंत्री (सिविल)	7	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षण यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
ड्रिंग एक्सपर्ट	1	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षण जल वैज्ञानिक (हाइड्रोक्रियालाजिस्ट)	1	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	15	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
कार्यपालन यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
जल वैज्ञानिक (क्रायोबालिस्ट)	1	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
उपसंचालक (आर्थिक एवं सांख्यिकी)	1	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
सहायक यंत्री (सिविल)	26	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	1	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
लेखा अधिकारी	2	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
प्रशासनिक अधिकारी	2	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सांख्यिकी अधिकारी	1	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300

ख. फील्ड से कर्तव्य पद

अधीक्षण यंत्री (सिविल)	18	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षण यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	3	वर्ग एक	₹. 3200-100-3500-125-4500
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	71	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
कार्यपालन यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	11	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
जल वैज्ञानिक (हाइड्रोक्रियालाजिस्ट)	5	वर्ग एक	₹. 2600-75-2800-100-4200
सहायक यंत्री (सिविल)	306	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	67	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक जियोफिजिस्ट	5	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
मुख्य रसायनज्ञ	1	वर्ग दो	₹. 1820-60-2300-75-3200-100-3300

ग. प्रतिविद्युक्ति के पद कुछ नहीं

घ. अवकाश रिजर्व कुछ नहीं.

**अनुसूची-डी**  
**(नियम 8 के अन्तर्गत)**

विभाग का नाम	रहस्य का नाम	संवर्धन पदों की कुल संख्या के अधीन सीमा भरती द्वारा	अन्य पदों की कुल संख्या के अधीन सीमा भरती द्वारा	संवर्धन पदों की संख्या के अधीन सीमा भरती द्वारा	श्रेणियों का प्रतिफल	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राज्यीकृत) सेवा					
	<b>बर्ग-ए</b>					
	प्रमुख अभियंता	1	-	-	100%	
	मुख्य अभियंता (सिविल)	3	-	-	100%	
	मुख्य अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी)	1	-	-	100%	
	अधीक्षक यंत्री (सिविल)	25	-	-	100%	
	अधीक्षक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	4	-	-	100%	
	सर्वेक्षण विशेषज्ञ	1	-	-	100%	
	अधीक्षक जल वैज्ञानिक (हाईड्रो जियोलॉजिस्ट)	1	-	-	100%	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अधिकांश राज्य शासन के अन्य विभागों से सामान्यतया प्रतिनियुक्ति पर विकल्प के रूप में सीधी भरती द्वारा.
	कॉन्वेयान्स यंत्री (सिविल)	86	-	-	100%	
	कॉन्वेयान्स यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	12	-	-	100%	
	जल वैज्ञानिक (हाईड्रो जियोलॉजिस्ट)	5	100%	-	-	
	जीव वैज्ञानिक (बायोलॉजिस्ट)	1	100%	-	-	
	उप संचालक (आर्थिक एवं सांख्यिकी)	1	100%	-	-	मध्यप्रदेश शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग से सामान्यतया प्रतिनियुक्ति पर
	<b>बर्ग-बी</b>					
	सहायक यंत्री (सिविल)	332	60%	33%	उपयंत्री संवर्ग से	
	सहायक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	68	-	03%	मुख्य मानचित्रकार संवर्ग से 04% डिप्टी धारी उपयंत्री संवर्ग से पात्रता के लिए ऐसे पद पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	मुख्य रसायनज्ञ सेवा अधिकारी	1 2	100%			
	प्रशासनिक अधिकारी सहायक त्रिपोलिटिस्ट	2 5	- -	100%		
	सांख्यिकी अधिकारी	1	-		100%	

## अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा  वर्ग-एक  जस वैज्ञानिक (हायड्रोजिलोलॉजिस्ट)	21 वर्ष	33 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से भू-गर्भशास्त्र या प्रयुक्त भू-अर्थशास्त्र में उपाधि या समकक्ष उपाधि या इंडियन स्कूल आफ साइंस छनबाद का प्रयुक्त भू-गर्भ शास्त्र में डिप्लोमा, भू-गर्भ शास्त्र या नक्शे बनाने तथा समिज सोजने के कार्य में 3 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष भू-जल की संभाव्यता के सर्वेक्षण में भू-जल सोजने में व्यतीत किये हों।	सामान्यतः भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से या राज्य शासन के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जायेंगे और तब उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
	जीव वैज्ञानिक	21 वर्ष	30 वर्ष	बी.एस.सी. में जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ, रसायन शास्त्र में एम.एस.सी.	
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा  वर्ग-दो  सहायक यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से सिविल इंजी- नियरी में उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि.	
	मुख्य रसायनज्ञ	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से रसायन शास्त्र में एम.एस.सी. की उपाधि (डिग्री)	
	सेवा अधिकारी				संचालनकक्ष कोषागार या महा-सेक्षाकार के कार्यालय से प्रति-नियुक्ति पर लिया जावेगा.
	सहायक जल वैज्ञानिक (जियोफिजिस्ट)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से जियोफिजिस्ट (यू-भोडिकी) में स्नातकोत्तर उपाधि.	सामान्यतः व्यक्ति भारतीय भू-विज्ञापन केंद्र या राज्य शासन के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जावेगे और उनके लिए कोई आय सीमा नहीं होगी.

## अनुसूची-चार

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु बर्हता होने की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सेवा			
	मुख्य अभियंता (सिविल)		प्रमुख अभियंता	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन—अध्यक्ष.
	मुख्य अभियंता (विद्युत् और यांत्रिकी)			2. मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठतम सचिव—सदस्य
	मुख्य अधीक्षण यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (सिविल)	3. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग—सदस्य.
	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (विद्युत् और यांत्रिकी)	4. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्थापना का प्रभारी—सदस्य—सचिव.
	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य—अध्यक्ष.
				2. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग—सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यपालन यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)		5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी) ट्रिलिंग एक्सपर्ट (विद्युत् और यांत्रिकी)	3. प्रमुख अभियंता-सदस्य
सहायक यंत्री (सिविल)		6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	
सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)		6 वर्ष	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी)	4. उपसचिव (स्थापना)-सदस्य
उपयंत्री (सिविल या विद्युत् और यांत्रिकी)		12 वर्ष (डिप्लोमाधारियों के लिये) 8 वर्ष (उपरीष्ठ धारियों के लिये)	सहायक यंत्री (सिविल) या (विद्युत् और यांत्रिकी)	
मानचित्रकार और उच्च मानचित्रकार सिविल या विद्युत् और यांत्रिकी में जैसी भी स्थिति हो।		12 वर्ष	सहायक यंत्री (सिविल) या (विद्युत् और यांत्रिकी) वर्ग-2	
<b>बर्क-ही</b>				
सूचनात्मक अधीक्षक		2 वर्ष	प्रशासनिक अधिकारी	

नोट.- (1) कार्यपालन यंत्री (सिविल या विद्युत्/यांत्रिकी) के पद पर केवल वे सहायक यंत्री (सिविल या विद्युत्/यांत्रिकी) पदोन्नति के पात्र होंगे जो (सिविल या विद्युत्/यांत्रिकी) डिग्रीधारी हों अथवा जिनके पास कम से कम राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अथवा विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी का तीन वर्षीय डिप्लोमा या मानचित्रकार के तीन वर्षीय कोर्स का डिप्लोमा हो।

(2) केवल स्नातक डिग्रीधारी ही अधीक्षण यंत्रों के पद पर तथा इस संवर्ग से उच्च पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे। अपवाद केवल ट्रिलिंग एक्सपर्ट का पद होगा जिस पर वह कार्यपालन यंत्री (यांत्रिकी) पदोन्नति का पात्र होगा जिसके पास मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम तीन वर्षीय मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, यदि डिप्लोमाधारि कार्यपालन यंत्री ट्रिलिंग एक्सपर्ट के पद पर पदोन्नत होता है तो उसे आगे उच्च पदों पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी।

(3) यह संशोधन 15 अक्टूबर, 1987 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 1994

क्र. एफ. 1-15-चौतीस-1-86.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-15-चौतीस-1-86, दिनांक 28 मई 1994 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th May 1994

No. F. 1-15-XXXIV-1-86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely :—

## AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) in sub rule (3) of rule 14, for the words and bracket "Only those Assistant Engineers shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil or Mechanical) who hold" the words and bracket "Only those Assistant Engineers shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil or Electrical and Mechanical) who hold Bachelor's degree or" shall be substituted,
- (2) for the existing Schedules, the following Schedules shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-1  
(See Rule 5)

Name of the posts included in the service (1)	Total No. of duty posts (2)	Classification (3)	Scale of Pay (4)
--	--------------------------------	-----------------------	---------------------

## MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH ENGINEERING (GAZETTED) SERVICE

## A. DUTY POSTS IN HEAD OFFICE :

Engineer-in-Chief	1	Class-I	Rs. 5100-150-5700
Chief Engineer (Civil)	3	Class-I	Rs. 4500-125-5000-150-5300
Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	1	Class-I	Rs. 4500-125-5000-150-5300
Superintending Engineer (Civil)	7	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	1	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Drilling Expert	1	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Superintending Hydrogeologist	1	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Executive Engineer (Civil)	15	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	1	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Biologist	1	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Deputy Director (Economics & Statistics)	1	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Assistant Engineer (Civil)	26	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
Assistant Engineer (Electrical & Mechanical)	1	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
Accounts Officer	2	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
Administrative Officer	2	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200-100-3300

(1)	(2)	(3)	(4)
Statistical Officer	1	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
<b>B. DUTY POSTS IN FIELD :</b>			
Superintending Engineer (Civil)	18	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Superintending Engineer (Electrical & Mechanical)	3	Class-I	Rs. 3200-100-3500-125-4500
Executive Engineer (Civil)	71	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Executive Engineer (Electrical & Mechanical)	11	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Hydrogeologist	5	Class-I	Rs. 2650-75-2800-100-4200
Asstt. Engineer (Civil)	306	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200- 100-3300
Asstt. Engineer (Electrical & Mechanical)	67	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200- 100-3300
Assistant Geophysicist	5	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200- 100-3300
Chief Chemist	1	Class-II	Rs. 1820-60-2300-75-3200- 100-3300
<b>C. DEPUTATION POSTS :</b>	NIL		
<b>D. LEAVE RESERVE :</b>	NIL		

## SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Name of the Department	Name of the Service	Total No. of duty posts	Percentage of the number of duty post to be filled in			(7)
			By direct recruitment under rule 6 (1) (a)	By promotion under rule 6 (1) (b)	By transfer of persons from other services under rule 6 (1)(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Health Engineering Department	Madhya Pradesh Public Health Engineer (Gazetted) Service. Class-I					
	Engineer-in-Chief	1	-	100%	-	
	Chief Engineer (Civil)	3	-	100%	-	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Chief Engineer (Electrical & Mechanical)	1	-	100%	-	
	Superintending Engineer (Civil)	25	-	100%	-	
	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	4	-	100%	-	
	Drilling Expert	1	-	100%	-	
	* Superintending Hydrogeologist	1	-	100%	-	* Generally on deputation from Geological Survey of India or other Deptt. of the State Govt. In the alternative By direct recruitment.
	Executive Engineer (Civil)	86	-	100%	-	
	Executive Engineer (Electrical & Mechanical)	12	-	100%	-	
	*Hydrogeologist	5	100%	-	-	
	Biologist	1	100%	-	-	
	*Deputy Director (Economics and Statistics)	1	100%	-	-	* Generally on Deputation from Economic & Statistics Deptt. of Govt. of M.P.
Class-II	Asstt. Engineer (Civil) Assistant Engineer (Electrical and Mechanical)	332 68	60%	33% from the Cadre of Sub-Engineers, 3% from the Cadre of Head Draftsman/Draftsman. 4% from the Cadre of Graduate Sub Engineers Minimum Service of 8 Yrs. on the post shall necessary for eligibility.		
	Chief Chemist	1	100%	-	-	
	Accounts Officer	2	-	-	100%	On deputation from the Directorate of Treasuries or Office of the Accountant General, M.P.
	Administrative Officer	2	-	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Assistant Geophysicist	5	-		100%	Persons will be generally on deputation from Geological Survey of India or other Deptt. of the State Govt. in the alternative by Direct Recruitment.
	Statistical Officer	1			100%	Persons will be generally taken on deputation from Economics & Statistics Deptt. of Govt. of M.P.

## SCHEDULE-III

(See Rule-8)

Name of the Department (1)	Name of the Service and Posts (2)	Minimum age limit (3)	Upper age limit (4)	Educational Qualification (5)	Remarks (6)
Public Health Engineering Department	Madhya Pradesh, Public Health Engineering (Gazetted) Service.  Class-I  Hydrogeologist	21 Yrs.	33 Yrs.	M.Sc. Degree in Geology or applied Geology from recognised University or equivalent or Diploma in applied Geology from the Indian School of mines Dhanbad with 3 yrs. in Geological Mapping and mineral prospecting out which 2 yrs. must have been spent in Ground Water prospecting Survey of Ground Water Potential.	Persons will be generally taken on deputation from the Geological Survey of India or other deptt. of the State Govt. and then there will be no age limit.
	Biologist	21 Years	30 Years	M.Sc. in Chemistry with Zoology and Botany in B.Sc.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Madhya Pradesh, Public Health Engineering (Gazetted) Service.				
	Class-II				
	Assistant Engineer (Civil)	21 Yrs.	30 Yrs.	Degree in Civil Engineering from a reco- gnised University or its equivalent.	
	Assistant Engineer (Electrical & Mechanical)	21 Yrs.	30 Yrs.	Degree in Electrical/ Mechanical Engineering from a recognised Uni- versity of its equivalent.	
	Chief Chemist	21 Yrs.	30 Yrs.	M.Sc. Degree in Chemistry from a recognised University.	
	Accounts Officer				To be taken on deputa- tion from Directorate of Treasuries of office of Accountant General Madhya Pradesh.
	Assistant Geophysicists	21 Yrs.	30 Yrs.	M.Sc. in Geophysicists from a recognised University.	Persons will be genera- lly taken on Deputation from the Geological Survey of India or other Departments of the State Govt. and from them there will be no age limit.

## SCHEDULE-IV

(See Rule-13)

Name of the Department	Name of Service and Post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify promotion to the next higher post	Name of Service or posts to which promotion is to be made	Name of the member or the Departmental Promotion Committee vide Rule-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Health Engineering Department	Madhya Pradesh, Public Health Engineering Service.  Chief Engineer (Civil) Chief Engineer (Electrical and Mechanical).		Engineer -in-Chief	1. Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh—Chairman. 2. Senior most Secretary to Government—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Superintending Engineer (Civil).	5 Yrs.	Chief Engineer (Civil)	3. Secretary/Special Secretary Public Health Engineering Department—Member.
	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical).	5 Yrs.	Chief Engineer (Electrical and Mechanical).	4. Deputy Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Health Engineering Department, Incharge of Establishment—Member Secretary.
	Executive Engineer (Civil).	5 Yrs.	Superintending Engineer (Civil).	1. Chairman of Public Service Commission or a Member nominated by him—Chairman.
	Executive Engineer (Electrical and Mechanical).	5 Yrs.	Superintending Engineer (Electrical and Mechanical). Drilling Expert.	2. Secretary/Special Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Health Engineering Department—Member.
	Assistant Engineer (Civil).	6 Yrs.	Executive Engineer (Civil).	
	Assistant Engineer (Electrical and Mechanical).	6 Yrs.	Executive Engineer (Electrical and Mechanical).	
	Sub-Engineer in (Civil) or Electrical and Mechanical	12 Yrs for diploma holders and 8 years (for those who are Degree holders).	Assistant Engineer (Civil or Mechanical).	3. Engineer-in-Chief—Member.
	Draftsman/Head Draftsman in Civil or Mechanical Engineering as the case may be.	12 Yrs.	Assistant Engineer (Civil) or Electrical and Mechanical	4. Deputy Secretary (Establishment)—Member.
	Superintendent (Head Office).	2 Yrs.	Class-II Administrative Officer	

Note.—(1) Only those Assistant Engineers (Civil or Electrical/Mechanical) will be eligible for promotion of Executive Engineer (Civil or Electrical/Mechanical) who are degree (Civil or Electrical/Mechanical) holder or who have atleast a three years diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering or a three years diploma in Draftsmanship from a Institute recognised by the State Government.

(2) Only a degree holder in Civil or Electrical/Mechanical Engineering will be eligible for promotion to the post of Superintending Engineers and posts above this cadre. Exception will be only the post of Drilling Expert where an Executive Engineer (Mechanical) with three years diploma in Mechanical/Electrical Engineers from an Institute recognised by the State Government would be eligible for promotion. If an Executive Engineer with 3 years diploma is promoted to the post of Drilling Expert, he shall not be eligible for promotion to higher posts.

(3) These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 15th October, 1987.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
M. K. VERMA, Dy. Secy.